न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 05 / 2018

1. ख्यालीराम पुत्र भगवानाराम जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. रमेश कुमार पुत्र भगवानाराम जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. गीता पुत्री भगवानाराम जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. संतोष पुत्री भगवानाराम जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. चुकी पुत्री भगवानाराम जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रार्थीगण

– बनाम –

1. नत्थू पुत्र गोपा जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा पुराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. ताराचन्द पुत्र पन्नाराम
3. महेन्द्र पुत्र पन्नाराम
4. महेश कुमार पुत्र पन्नाराम
5. सुनिता पुत्री पन्नाराम
6. सुगना पत्नी पन्नाराम
7. तरवीणी देवी पत्नी पालाराम
8. ग्यारसी देवी पत्नी जुगलकिशोर
9. सोनू देवी पत्नी मदनलाल
   समस्त जातिगण कुमावत निवासी परसरामपुरा पुराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी
अं.धारा 111 रा0भू0राज0 अधि0

वकील प्रार्थी : सज्जन कुमार चाहर
वकील अप्रार्थी : एक पक्षीय

निर्णय

निर्णय दिनांक 14–02–2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड हक, अधिकार की भूमि राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 344 खाता संख्या पुराना 340 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2145, 2147, 2200 रकबा क्रमशः 0.5600, 2.66, 1.040 हैक्टर कुला किता 3 कुल रकबा 4.26 हैक्टर स्थित है, जिसमें से गैर मुमकीन रास्ता 0.03 हैक्टर स्थित है। परन्तु प्रार्थी के पास भौतिक रूप से कृषि भूमि खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.56 हैक्टर व खसरा नम्बर 2147 रकबा 2.66 हैक्टर की कृषि भूमि कम है, इसलिए प्रार्थी ने तहसीलदार नवलगढ़ के यहां सीमाज्ञान के लिए आवेदन किया था।

प्रार्थी का सीमाज्ञान के लिए आवेदन करने के पश्चात पटवार हल्का परसरामपुरा के पटवारी द्वारा फर्द मौका सीमाज्ञान किया गया था, जो निम्न प्रकार है :– आज दिनांक 31.05.2017 तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक 08 दिनांक 31.05.2017 की पालना में ग्राम परसरामपुरा में खातेदार ख्या[illegible] कुमार पिता भगवानाराम, गीता, संतोष, चुकी पुत्रीया भगवानाराम कि खातेदारी भूमि खसरा [illegible] 2145 [illegible] 0.56 [illegible] 2147 रकबा 0.06 व खसरा नम्बर 2200 रकबा 1.040 कुल किता 3 कुल रकबा 4.26 हैक्टर की सीमा [illegible] खातेदार श्री ख्यालीराम पिता भगवानाराम जाति कुमावत को करवाया गया, मौके पर नपती कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान कार्य मिला[illegible]ल (भू.अ.) कार्यालय से प्राप्त नक्शा शीट क्रमांक 4823 दिनांक 09.11.2016 के माप[illegible]र मौके पर उपस्थित मोत[illegible]क्तियों के समक्ष खातेदार प्रतिनिधि ख्यालीराम पिता भगवाना राम जाति कुमावत को करवया गया, खसरा नम्बर 2200 का सीमाज्ञान खातेदार नही चाहने के कारण नही किया गया। सर्वेशीट में नकल से आवेदकगण को खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.56

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 15:21:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

(5)

हैक्टर, खसरा नम्बर 2147 रकबा 0.66 की नाप की गई एवं चारो दिशाओं में सीमा चिन्ह लगाये गये। संलग्न नजरी नक्शा में सीा दर्शाई गई। " फर्द सीमाज्ञान मौके पर तैयार की गई। उपस्थित को पढकर सुनाई गई व उपस्थित के हस्ताक्षर करवाने गये। फर्द सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थी बिल्कुल संतुष्ट है परन्तु प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार संतुष्ट नही है। प्रार्थी अब पत्थरीगढ़ी करवाना चाहता है।

प्रार्थी की भूमि पडौसी खातेदार अवैध तरीके से सीमा तोड़कर प्रार्थी की भूमि खसरानम्बर 2145 रकबा 0.56 व खसरा नम्बर 2147 रकबा 2.66 हैक्टर की भूमि को अपनी भूमि में मिलाना चाहते है, प्रार्थ के पडौसी खातेदार अप्रार्थी नम्बर 1 जिसकी भूमि खसरा नम्बर 2146 व 2201 तथा अप्राथीगण संख्या 2 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 2144 व अप्रार्थीगण 7 लगायत 9 की भूमि खसरा नम्बर 2148 ये अप्राथीगण को प्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी नही करने देना चाहते है, इसलिए प्रार्थी रेवेन्यू कर्मचारियों की टीम गठित कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी हर्जा खर्चा वाहन करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में अनावेदक नम्बर 10 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र 2/– रूप्ये कोर्ट फीस पर पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का पूर्ण अधिकार है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 344 खाता संख्या पुराना 340 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2147 रकबा 2.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 2200 रकबा 1.040 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 4.26 हैक्टर स्थित जिसमें गैर मुमकीन रास्ता 0.03 हैक्टर स्थित हैं। परन्तु प्रार्थी के पास भौतिक रूप से कृषि भूमि खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.56 हैक्टर व खसरा नम्बर 2147 रकबा 2.66 हैक्टर की कृषि भूमि कम है, उपरोक्त खसरा नम्बरान् में से खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.56 व 2147 रकबा 2.66 हैक्टर की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार ही पत्थगड्डी करने का प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अप्रार्थीगण जारी कर अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। विद्वान वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ के सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करने का निवेदन किया।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से दिनांक 31.05.2017 को करवाया गया। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 344 खाता संख्या पुराना 340 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2145, 2147, 2200 रकबा क्रमशः 0.5600, 2.66, 1.040 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.26 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 31.05.2017 के अनुसार पत्थरगड्डी शुल्क राजकोष में प्रार्थी द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि के सीमाओं पर पत्थगड्डी का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–02–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक
(राजस्व) (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 15:21:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका सीमाज्ञान पटवार हल्का परसरामपुरा

(15)

आज दिनांक 3/5/2017 को श्रीमान तहसीलदार महो. नवलगढ़ के आदेश क्रमांक 8 दिनांक 30.5.2017 कि पालना में ग्राम परसरामपुरा में खाते 18 लालीराम, रमेशकुमार पि० भगवानाराम, गीता, संतोष, पुत्री पुत्रि० भगवानाराम कि खातेदारी भूमि खसरा न० 2145/0.56, 2147/2.66, 220/1.04 कुल किता 3 रकबा 4.26 हे० का सीमाज्ञान खातेदार श्री लालीराम पि० भगवानाराम आदि काश्तकारों को करवाया गया। मौके पर नपती कर सीमाज्ञान करवाया गया।

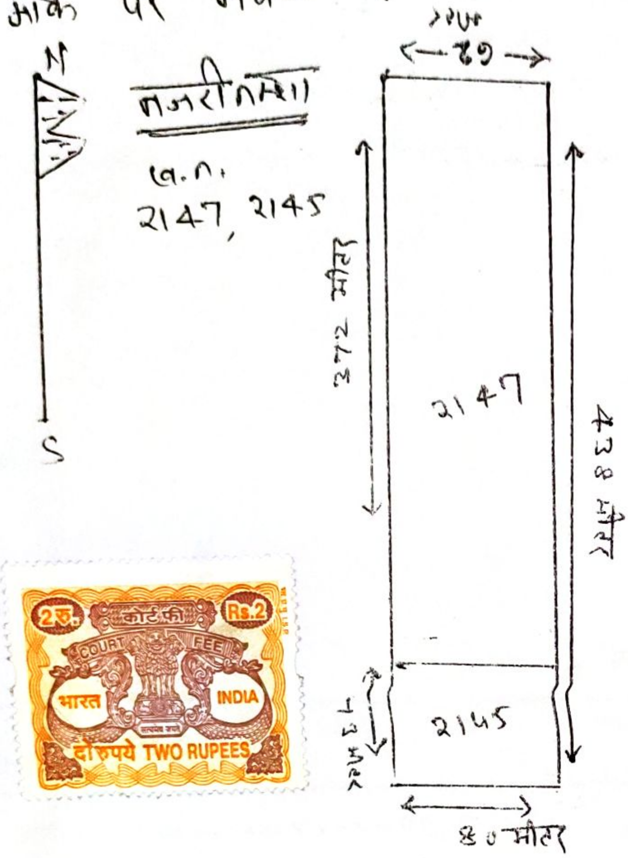

1. रजिस्टर नम्बर 649
2. प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 27.6.18
3. नाम प्रार्थी लालीचन्द
4. नकल ... 27.6.18
5. नकल ...
6. कॉपिंग टिकट 2.00
7. नकल देने का दिनांक 27.6.18

सीमाज्ञान कार्य भू अभिलेख निरीक्षक (भू० अभि०) कार्यालय से प्राप्त नक्शा शीट क्रमांक 4643 दिनांक 9.11.16 के साथ मौजूदा मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष खातेदार प्रतिनिधि श्री लालीराम पिता भगवानाराम [illegible] करवाया गया। खसरा [illegible] फर्द मौका न० 200 का सीमाज्ञान खातेदार [illegible] तैयार की उपस्थित [illegible] लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 15:21:34 IST
Reason: SelfAttested

सरपंच
ग्राम पंचायत परसरामपुरा
पं. स. नवलगढ़ (झुन्झुनू)

पटवारी परसरामपुर

ग्राम पंचायत

ऑफिस कानूनगो
तहसील नवलगढ़

मिलान किया
पढ़ा सुना

सत्य प्रतिलिपि
तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़